रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2014/पौष 17, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 214
No. 5] DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2014/PAUSHA 17, 1935 [N.C.T.D. No. 214

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 7 जनवरी, 2014

सं. फा.सचि/11/75/परि./1997/पार्ट.-3/04.— सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 11 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 52 (अ) के खंड (ड.) के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा इस सरकार की दिनांक 18 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं. फा.सचि.11/75/975 में निम्नलिखित संशोधन करती है तथा आगे निम्नानुसार आदेश करती है:—

क. दिनांक 18 फरवरी, 2003 की उक्त अधिसूचना में खंड (क), के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्राधिकार के भीतर वाहन के ऊपर सामने फलैशर वाली लालबत्ती का प्रयोग;

(1) उपराज्यपाल;

(2) मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा;

(3) न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय "

ख. दिनांक 18 फरवरी, 2003 की उक्त अधिसूचना में खंड(ख), में प्रविष्टि संख्या 1, 2, तथा 3 हटाई जाएंगी:—

ग. दिनांक 18 फरवरी, 2003 की उक्त अधिसूचना का खंड(ग) हटाया जाएगा तथा खंड (घ) खंड (ग) के रूप में पुन: क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: क्रमांकित किये गये खंड (ग) के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे अर्थात्:—

"फलैशर वाली लालबत्ती केवल तभी प्रयोग की जा सकेगी जब विनिर्दिष्ट उच्च पदाधिकारी ड्यूटी पर है, अन्यथा नहीं";

(घ) इस सरकार की दिनांक 25 फरवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या फा. सचि/11/75/परि./1997/78 तथा दिनांक 25 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या फा. सचि/11/75/परि।1997/79 एतद्द्वारा तत्काल वापिस ली जाती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अरविन्द रे, प्रधान सचिव एवं आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 7th January, 2014

No. F. Sectt/11/75/Tpt/1997/Part-III/04.—In pursuance of clause (e) of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highway's Notification No. S.O. 52 (E) dated the 11th January, 2002, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments in this Government's Notification No. F. Sectt./11/75/975 dated the 18th February, 2003, and makes further order as under:—

A. In the said Notification dated 18th February, 2003, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

1/2

"(a) Use of red light with flasher on the top front of the vehicle within the jurisdiction of the National Capital Territory of Delhi ,—

(1) Lieutenant Governor;

(2) Chief Justice of High Court of Delhi;

(3) Judges of High Court of Delhi.",

B. In this said Notification dated 18th February, 2003, in clause (b), entries 1, 2 and 3 shall be omitted;

C. In the said Notification dated 18th February, 2003, clause (c) shall be omitted and clause (d) shall be re-numbered as clause (c), and in clause (c) so re-numbered, in the end, the following words shall the added, namely:—

"The red light with flasher can be used only while the specified high dignitary is on duty and not otherwise.";

D. This Government's Notifications No. F. Sectt./11/75 Tpt./1997/78 dated the 25th February, 2013 and No. F.Sectt./11/75 Tpt/1997/79 dated 25th February, 2013 are hereby withdrawn with immediate effect.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ARVIND RAY, Pr. Secy.-cum-Commissioner

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

[TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART- IV EXTRA –ORDINARY]
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(TRANSPORT DEPARTMENT)
5/9,UNDER HILL ROAD,DELHI-54.

Dated the 28th Aug., 2014

NOTIFICATION

No.F.19(38)/Tpt./Sectt./2011/176 .-Whereas the draft of certain rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 was published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), by the Government of National Capital Territory of Delhi, vide notification number F.19(38)/Tpt./Sectt./2011/87, dated the 2nd May, 2014 in the Delhi Gazette Part-IV Extra-ordinary inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect on the said draft have been considered by the Government of National Capital Territory of Delhi;

Now, therefore, In exercise of the powers conferred by the second proviso to section 129 and clause (i) of sub-section (2) of section 138, read with clause (41) of section 2 and sub-section (2) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby, makes the following rules to further amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, namely:-

RULES

Short title and commencement	1.	(1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2014. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
Amendment of rule 115	2.	In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, in sub-rule (2) of rule 115 for the word "Women" the words "Sikh Women" shall be substituted.

By order and in the name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

(Gyanesh Bharti)
Commissioner (Transport)

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(परिवहन विभाग)
5/9 अंडर हिल रोड़, दिल्ली–110054.

दिनांकः 28-08-, 2014

अधिसूचना

सं.फा. 19(38)/परि/सचि0/2011/176 .–जबकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार दिल्ली मोटर वाहन नियमवली, 1993 का पुनः संशोधन करने के लिये कुछेक नियमों का प्रारूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 2 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या 19/38/परि0/सचि0/2011/87 के अनुसार दिल्ली राजपत्र भाग–चार असाधारण में, जिस तिथि को उक्त अधिसूचना वाले दिल्ली के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, उस तिथि से तीस दिन की अवधि बीतने से पहले इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिये प्रकाशित किया गया था;

और उक्त प्रारूप के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियां तथा सुझावों पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा विचार किया गया था;

अतः अब मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) और धारा 212 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 129 के द्वितीय परन्तुक तथा धारा 138 की उपधारा (2) के खंड(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियमावली

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :– 1. (1) इन नियमों दिल्ली मोटर वाहन (त्रितीय संशोधन), नियमावली, 2014 कहा जायेगा।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

नियम 115 का संशोधन :– 2. दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 115 के उपनियम (2) में शब्द "महिलाओं" के स्थान पर शब्द "सिक्ख महिलाओं" को प्रतिस्थापित किया जायेगा,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ज्ञानेश भारती
(ज्ञानेश भारती)
आयुक्त (परिवहन)